राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 00153/2024

जनेश सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव कार्मिक विभाग, राजस्थान राज्य, सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.01.2024
आदेश की दिनांक : 28.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री देवेश त्रिपाठी, अधिवक्ता
समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2 अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में निवेदन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के पद पर (अभय कंमाड एण्ड कंट्रोल सेंटर) पुलिस आयुक्तालय, जयपुर में कार्यरत है। प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध राजस्थान पुलिस सेवा के चयन वेतन श्रृंखला के पद पर पदोन्नति के लिए विचार से अवैध रूप से बाहर कर दिया गया है। आरपीएस के चयन वेतन स्केल के पदों को 100 प्रतिशत आरपीएस के सीनियर स्केल के पदों से पदोन्नति के माध्यम से भरा जाता है। वर्ष 2023–24 की रिक्तियों में सामान्य श्रेणी के अधिकारियों के लिए 60 पद स्वीकृत पद थे और आरपीएस के चयन पद के वर्ष 2023–24 के लिए केवल 30 पद भरे गये है, जबकि 30 पद सामान्य श्रेणी के अभी भी इस आधार पर रिक्त है कि अपीलार्थी के पास पदोन्नति के लिए अपेक्षित अनुभव नहीं है। अनुभव की गणना राज. उच्च न्यायालय एवं अधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों के विपरीत गलत एवं मनमाने तरीके से की जा रही है। अपीलार्थी वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति आदेश दिनांक 11.12. 2015 के माध्यम से राज्य पुलिस सेवा में आया था। पदोन्नति के लिए नियम 1954 के अनुसार रिक्त्यिों का निर्धारण संबंधित वर्ष की 1 अप्रैल को किया जाता है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इस अधिकरण द्वारा निर्धारित निर्णयों के अनुसार अनुभव 01.04.

2015 से गिना जाना चाहिए। जिस वर्ष की रिक्ति पर पदोन्नति दी गई है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 15.05.2023 द्वारा अनुभव में दो साल की छूट देने के बाद, अपीलार्थी ने 01.04.2023 को आरपीएस के चयन वेतन श्रृंखला पर पदोन्नति के लिए अपेक्षित अनुभव प्राप्त कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग ने 01.04.2015 से अनुभवों की गणना नहीं की है और अपीलार्थी को चयन पदों पर पदोन्नति के लिए विचार से बाहर कर दिया। अपीलार्थी को वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध दिनांक 11.12.2015 के आदेश द्वारा राजस्थान पुलिस सेवा में पदोन्नत किया गया था। उसी सूची में श्री रामचन्द्र सिंह पदोन्नति सूची में क्रम संख्या 10 पर अंकित था, को दिनांक 01.06.2023 को आरपीएस के चयन वेतनमान में अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि उसे आरपीएस के रूप में 8 वर्ष की सेवा पूरी करने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है लेकिन के संबंध में इसे लागू नहीं किया एवं उसे न्यासंगत अधिकार से वंचित रखा गया है। राजस्थान पुलिस सेवा में पदोन्नति आदेश दिनांक 11.12.2015 (अनुलग्नक–1) पर है एवं डीपीसी का कार्यवाही विवरण अनुलग्नक–2 पर है। तत्पश्चात अपीलार्थी को वर्ष 2021–22 की रिक्तियों के विरूद्ध वरीष्ठ श्रृंखला में पदोन्नत किया गया। राजस्थान पुलिस सेवा में अधिकारियों की दिनांक 01.04. 2023 के संदर्भ में जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 01.06.2023 में अपीलार्थी को वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में दर्शाया गया है (अनुलग्नक–3)। अनुभव की गणना हेतु रिक्ति की उपलब्ध होने की तिथी सम्भव नहीं है क्योकि अनुभव की गणना वर्ष के भाग के रूप में नहीं होती बल्कि पूरा वर्ष एक इकाई होता है। रिक्ति उलपब्ध होने की तिथी उच्च पद के वेतन हेतु लागू होती है। राज्य सरकार नियम 1954 के नियम 9 के तहत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या का प्रतिवर्ष एक अमेल को निर्धारित करती है। राज्य सरकार द्वारा नियम 1954 के नियम 32 में नया 35 नियम 2ए जोड़ा है जिसके अनुसार इन पर जिन अभ्यार्थियों ने 8 वर्ष का अनुभव धारित कर लिया है, को पदोन्नत करना था। हालांकि 60 पदों में से 30 पद ही भरे गये एवं सामान्य श्रेणी के 30 पद रिक्त रह गये। अपीलार्थी निर्धारित अनुभव धारित करता है क्योंकि अपीलार्थी का आरपीएस में 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हुई एवं अनुभव की गणना 01.04.2015 से की जानी थी परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के प्रकरण पर विचार नहीं किया। डीपीसी का कार्यवाही विवरण (अनुलग्नक–5) पर उपलब्ध है। डीपीसी की बैठक के समय अपीलार्थी निर्धारित अनुभव धारित करता था। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को विस्तृत अभ्यावेदन (अनुलग्नक–6) प्रस्तुत किया

जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई एवं पदोन्नति आदेश दिनांक 05.10.2023 जारी हो गये (अनुलग्नक–7)। अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 20484/2023 दायर की। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिकरण में अपील की स्वतंत्रता के साथ याचिका निस्तारित की (अनुलग्नक–8)। अतः प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी को वर्ष 2023–24 की आरपीएस की चयन वेतन श्रृंखला की रिक्तियों के विरूद्ध है। पदोन्नति प्रदान करने एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करने एंव समस्त पारिणामिक परिलाभ मय 18 प्रतिशत ब्याज का अनुतोष चाहा है। राजस्थान पुलिस सेवा के चयनित वेतन श्रृंखला में पदोन्नति हेतु 10 का अनुभव निर्धारित किया गया है। नियम 32(2ए) को अपील में उदृत किया गया हैः–

> '' (2A) No member of the service who has not been appointed on senoir scale post and completed 10 years " service in all as a member of the service shall be eligible for appointment on the selection scale post."

राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 15.05.2023 द्वारा सभी सेवाओं में संशोधन कर वर्ष 2023–24 में पदोन्नति हेतु अनुभव में 2 वर्ष का शिथिलन प्रदान किया गया है। अर्थात यह शिथिलन वर्ष 2023–24 में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर पदोन्नति हेतु दिया गया है। (अनुलग्नक–4) वर्ष 2023–24 में आरपीएस के चयन वेतन श्रृंखला की 70 रिक्तियां निर्धारित की गई जिनमें 60 पद सामान्य श्रेणी के अभ्यार्थियों से भरे जाने थे।

3 अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध राजस्थान पुलिस सेवा के चयन वेतन श्रृंखला के पद पर पदोन्नति के लिए समीक्षा डीपीसी आयोजित करने और अपीलार्थी को राजस्थान पुलिस सेवा के आठ वर्षों के अपेक्षित अनुभव के आधार पर सेवाओं की गणना दिनांक 01.04.2015 से करते हुए अपीलार्थी को भी उसी दिनांक से पदोन्नत करे जिस दिनांक से अन्य कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई हो एवं वेतन निर्धारण, वरिष्ठता, 18 प्रतिशत ब्याज सहित वेतन का बकाया एवं शेष सभी परिणामी लाभों का भुगतान किया जावे।

4 हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5 प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के पद पर (अभय कंमाड एण्ड कंट्रोल सेंटर) पुलिस आयुक्तालय, जयपुर में कार्यरत है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का राजस्थान पुलिस सेवा में वरिष्ठता सह–योग्यता के आधार पर कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति की गई है। पदोन्नति आदेश दिनांक 11.12.2015 (अनुलग्नक–1) से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को जिस रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई है। वह दिनांक 01.07.2015 को उपलब्ध हुई है। प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि प्रत्यर्थी विभाग वर्ष 2023–24 की राजस्थान पुलिस सेवा के चयन वेतन श्रंखला के पद पर पदोन्नति के लिए समीक्षा डीपीसी आयोजित कर अपीलार्थी को वर्ष 2023–24 की चयनित वेतन श्रृंखला की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की जावे और अपीलार्थी को राजस्थान पुलिस सेवा के आठ वर्षों के अपेक्षित अनुभव की गणना दिनांक 01.04.2015 से करते हुए अपीलार्थी को भी उसी दिनांक से पदोन्नत करे जिस दिनांक से अन्य कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई है। अपीलार्थी की पदोन्नति राजस्थान पुलिस सेवा में दिनांक 01.07.2015 की रिक्तियों के विरूद्ध की गई है। राजस्थान पुलिस सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृखला अधिकारियों की प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2023 (अनुलग्नक–3) के संन्दर्भ में जारी वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 61 पर अंकित है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15.05.2023 द्वारा वर्ष 2023–24 में पदोन्नति हेतु निम्न पदों पर अथवा सेवा अवधि अथवा दोनों में निर्धारित अनुभव में दो वर्ष की छुट प्रदान की गई है। वर्ष 2023–24 की वेतन श्रृंखला की रिक्ति हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में दिनांक 30.09.2023 द्वारा जिन अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है, उनमें एक अन्य लोकसेवक जिसका उदाहरण अपील में दिया गया है। श्री रामचन्द्र सिंह पुत्र रामदेव सिंह जिसका वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 54 पर नाम अंकित है, जबकि अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची क्रम संख्या 61 पर ही अंकित है। (अनुलग्नक–7) अपीलार्थी द्वारा रिट याचिका दायर की जाने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिकरण में अपील दायर करने पर यथा शीघ्र यथा संभव 3 माह में याचिका निस्तारित करने हेतु निर्देश प्रदान किए गये। अपील में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उससे किन कनिष्ठ अधिकारियों को वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध चयन वेतन श्रृंखला में पदोन्नत कर दिया गया है और उसे वंचित रखा गया है। अपीलार्थी ने जिस अन्य राजसेवक अधिकारी रामचन्द्र सिंह का उदाहरण

प्रस्तुत कर अपनी पदोन्नति की मांग की है राजस्थान पुलिस सेवा में पदोन्नति आदेश दिनांक 11.15.2012 से स्पष्ट है कि उक्त पदोन्नति आदेश में रामचन्द्र सिंह का नाम क्रम संख्या 10 पर है और उसे पदोन्नति दिनांक 01.04.2015 को उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई है जबकि अपीलार्थी का नाम इस पदोन्नति आदेश में क्रम संख्या 18 पर अंकित है और उसे दिनांक 01.07. 2015 में उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई है। अतः स्पष्ट है कि रामचन्द्र सिंह के राजस्थान पुलिस सेवा में अनुभव की गणना पदोन्नति के संबंध में दिनांक 01.04.2015 से की गई तथा अपीलार्थी के अनुभव की गणना दिनांक 01.04.2016 से की जायेगी।

6 ''15. **अनुभव एवं अनुभव में छूटः–**

15.1. ''**कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा पदोन्नति के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 04.06.2008 का बिन्दू संख्या 15 अनुभव एवं अनुभव में छूट के संबंध में है। इसका बिन्दू संख्या 15.1 प्रांसगिक है जो निम्नानूसार है :– सेवा में निम्न पद से उच्च पद/ग्रेड में पदोन्नति हेतु रिक्त पद पर वांछित न्यूनतम अनुभव के प्रावधान वर्णित किये गये है। निम्न पद/ग्रेड (जिससे पदोन्नति उच्चतर पद पर की जा रही है) पर नियमित रूप से चयनित होकर निरन्तर कार्य सम्पादन की अवधि अनुभव हेतु गणना योग्य होगी। इसमें प्रशिक्षण, अवकाश एवं प्रतिनियुक्ति इत्यादि जो राजस्थान सेवा नियम, 1951 में ''ड्यूटी'' माना गया है वह अवधि गणना योग्य होगी। अवधि की गणना निम्न पद पद नियमित नियुक्ति के बाद के 1 अप्रैल से पदोन्नति वर्ष के 1 अप्रैल तक की जाएगी।''**

सेवा इस प्रकार अपीलार्थी को वर्ष 2023–24 की चयन वेतन श्रृंखला की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुभव में दो वर्ष का शिथिलन प्रदान करने के उपरान्त भी निर्धारित अनुभव पूरा नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 1315/2015 राजस्थान राज्य बनाम भूम सिंह महलावत एवं एसबीसीडब्लयू पीटिसन संख्या 9479/2015 प्रकाश चंद मीणा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य एवं एसबीसीडब्लयू पीटिसन संख्या 11652/2014 राजस्थान राज्य बनाम रामरूप प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी का आपेक्षित अनुभव पदोन्नति वर्ष एक अप्रैल से गिना जावे। उक्त न्याय निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इन प्रकरणों में पदोन्नति विलम्ब से आयोजित की गई है एव ंकिसी वर्ष विशेष की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई है जिस पर माननीय उच्च ने पदोन्नति

वर्ष की 1 अप्रैल से अनुभव मानने हेतु निर्णय किया है परंतु हस्थगत प्रकरण में अपीलार्थी की पदोन्नति दिनांक 01.07.2015 के विरूद्ध की गई है इसलिए उसके अनुभव की गणना दिनांक 01.04.2015 से किया जाना न्याय संगत नहीं होगा। अतः उक्त अपील में कोई बल नहीं होने के कारा अपील अपीलार्थी खारिज फरमायी जावे।

7 उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)